बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक : ~~1210~~ 171074 / दिनांक : 11 दिसम्बर, 2013

सं0सं0 : ग्रा0वि0-7(सा0वा0)-07/13

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0

सरकार के सचिव

सेवा में,

सभी जिलापदाधिकारी

सभी उप विकास आयुक्त

विषय : मनरेगा वृक्षारोपण अनुरक्षण एवं प्रबंधन पंजी का दस्तावेजीकरण हेतु सॉफ्टवेयर विकसित करने संबंधी ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि विभिन्न जिलों द्वारा मनरेगा अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण का दस्तावेजीकरण किया जाना है । इस हेतु वृक्षारोपण अनुरक्षण एवं प्रबंधन पंजी विकसित की गयी है जिसका प्रारूप (Format) संलग्न किया जा रहा है । इसमें संधारित किये जाने वाले पंजी से संबंधित एवं अन्य प्रशासनिक जानकारियॉ भी दी गयी है ।

अनुरोध है कि दस्तावेजीकरण का कार्य इस वित्तीय वर्ष के समापन तक पूरा कर लिया जाए । यह कृषि कैबिनेट से संबंधित महत्वपूर्ण मामला हे, अत: इसे पूर्ण गंभीरता से लिया जाए ।

संलग्न : यथोक्त ।

विश्वासभाजन

9/12

(अमृत लाल मीणा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 171074 दिनांक : 11/12/13

प्रतिलिपि : सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

9/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 171074 दिनांक : 11/12/13

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ प्रेषित ।

9/12

सरकार के सचिव

मनरेगा अंतर्गत किये गये वृक्षारोपण का दस्तावेजीकरण

(1) मनरेगा अंतर्गत लगाये गये पौधों के लिए अलग से रजिस्टर (पंजी) संधारित किया जायेगा। इस पंजी का नाम ''मनरेगा वृक्षारोपण अनुरक्षण प्रबंधन पंजी'' होगा । यह पंजी प्रत्येक पंचायत के लिए अलग-अलग होगी । योजना में लगाये गये पौधों की संख्या के आधार पर पंजी के पृष्ठों पर सूचनाएं अंकित की जायेगी ।

(2) प्रत्येक पंचायत के लिए एक और एक ही पंजी होगा ताकि पंचायत में कार्यान्वित की गयी योजनाओं के संबंध में समेकित जानकारी एक साथ उपलब्ध रहे सके ।

(3) पंजी के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में अंकित कागज चिपकाया जायेगा जिसपर अंकित होगा '' _____ पंचायत मनरेगा वृक्षारोपण अनुरक्षण एवं प्रबंधन पंजी''

(4) पंजी के कवर पेज पर निम्न सूचनाएं अंकित रहेगी :-

(क) पंचायत का नाम -

(ख) प्रखंड का नाम -

(ग) जिला का नाम -

(5) पंजी के अगले पृष्ठ पर अनुक्रमणिका (Index) संधारित होगी जिसका प्रपत्र निम्नवत होगा:-

क्र.सं.	योजना संख्या	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	वृक्षारोपण इकाईयों की संख्या	नरेगा सॉफ्ट पर प्रदर्शित यूनिक कोड संख्या	योजना स्थल का विवरण	प्राक्कलित राशि	व्यय की गयी राशि	पंचायत रोजगार सेवक का अभिप्रमाणन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(6) अनुक्रमणिका के बाद पंजी के अगले पृष्ठों पर संबंधित पंचायत का एक नजरी नक्शा (Rough map) होगा जिसके बाद के पृष्ठों में ग्रामवार अलग-अलग पृष्ठ संधारित किये जायेंगे जिसमें गांव का नजरी नक्शा होगा जिसपर योजनावार स्पष्ट चौहद्दी अंकित करते हुए विवरण दर्शाया जायेगा । यह नक्शा गांव के कुछ प्रमुख स्थाई पहचान संरचनाओं को भी दर्शायेगा ।

(7) आगे के पृष्ठों पर योजनावार विवरण अंकित किया जायेगा और प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग पेज निम्न प्रपत्र में संधारित किया जायेगा ।

शीर्ष भाग

योजना का सार

क्र.सं.	योजना संख्या	योजना का नाम	स्वीकृति का वर्ष	इकाईयों की संख्या	MIS के अनुसार यूनिक कोड संख्या	प्राक्कलित राशि	व्यय की गयी राशि			कुल राशि
							प्रथम वर्ष	द्वितिय वर्ष	तृतीय वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

योजना का प्रबंधन विवरणी

पौधा संख्या	प्रजाति का नाम	31 मार्च ..... की भौतिक स्थिति	31 मार्च ..... की भौतिक स्थिति	31 मार्च ..... की भौतिक स्थिति	वृक्ष संरक्षण योजना के आवंटी का नाम	जॉब कार्ड संख्या	बी.पी.एल. संख्या	ग्राम का नाम	वृक्ष आवंटन पत्र संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(8) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को पंचायत रोजगार सेवक पंचायत के सभी वृक्षों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन कर सरजमीन पर की स्थिति की पंचायतवार पंजी में प्रविष्टि करेंगे । यह कार्य वनरोपण के वर्ष तथा उसके बाद के दो वर्षों तक के लिए आवश्यक रूप से किया जायेगा। इसी पंजी में वृक्ष संरक्षण योजना का दस्तावेजीकरण किया जायेगा ।

(9) पंचायत रोजगार सेवक द्वारा की गयी प्रविष्टियों का पंचायत तकनीकी सहायक एक माह में शत-प्रतिशत सत्यापन करेंगे ।

(10) 31 मार्च 2014 तक सभी पंचायत रोजगार सेवक सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा में अब तक की गयी सभी वृक्षारोपण योजनाओं की यह पंजी अद्यतन कर लेंगे । जो पंचायत रोजगार सेवक पंजी अद्यतन करके प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें जनवरी माह एवं उसके बाद का वेतन भुगतान कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा ।

(11) जो पंचायत रोजगार सेवक 31 मार्च 2014 तक इस काम को पूरा नहीं करेंगे तो वे उक्त परिस्थिति में इसे कर्तव्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में माना जायेगा और अग्रेत्तर बिना अवसर देते हुए जिला कार्यक्रम समन्वयक पदमुक्त करेंगे ।